कार्यालय प्रभागीय निदेशक,सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,बस्ती।

पत्रांक– 3186 /331 बस्ती, दिनांक, अप्रैल 08 / 2022

सेवा में,

टोरेन्ट गैस प्राईवेट लि0
प्रथम तल, मकान नं0–11/3/11,
आवास विकास कालोनी, निकट–काली मन्दिर, कटरा,
बस्ती।

विषयः– **मे0 टोरेन्ट गैस प्राईवेट लि0 द्वारा बस्ती में बडेवन चौराहा से कम्पनीबाग चौराहा और बस्ती रोडवेज से प्लास्टिक कॉम्पलेक्स के मध्य जिला–बस्ती (उ0प्र0) में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन बिछाये जाने हेतु 0.35805 हे0 संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के संबंध में।**

सन्दर्भः– उ0प्र0 शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 का पत्रांक पी–335/81–2–2022–800 (36)/2022 दिनांक 28.03.2022 (सैद्धान्तिक स्वीकृति) मुख्य वन संरक्षक,/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक 2737/11–सी– FP/UP/Pipeline/120198/2021 दिनांक 29.03.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयगत संदर्भित पत्र का अवलोकन करे। विषयगत प्रकरण में संदर्भित पत्रों जिन्हे संलग्न किया जा रहा है, के क्रम में निर्दिष्ट सैद्धान्तिक स्वीकृति के पश्चात् एन0पी0वी0 की धनराशि ई–पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न ई–चालान द्वारा जमा कराकर सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार अनुपालन आख्या 05 प्रतियों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे, जिससे विधिवत् स्वीकृति हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा सकें।

क्र0 सं0	मद का नाम	जमा की जाने वाली अपेक्षित धनराशि
1	2	3
1	शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) पूर्व दर के अनुसार– रू0 224200.00	–
2	शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) (मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक 2049/11–सी–गाईडलाइन दिनांक 07.01.2022 के साथ संलग्न भारत सरकार के पत्र संख्या– File No. 5-3/2011-FC(Vol-1) दिनांक 06.01.2022 नवीनतम आदेशानुसार) (957780 x 0.35805= 342933.129 अथवा 342950.00)	342950.00
	(तीन लाख बयालिस हजार नौ सौ पचास मात्र) योग– (क्र0सं0 2)	**342950.00**

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(नवीन प्रकाश शाक्य)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, बस्ती।

संख्याः– /उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।:–

1– जिलाधिकारी, बस्ती।
2– वन संरक्षक, बस्ती वृत्त बस्ती।
3– क्षेत्रीय वन अधिकारी बस्ती को इस आशय से प्रेषित की वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत गैर वानिकी प्रयोग हेतु निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के पूर्णतः अनुपालन की स्थिति प्राप्त किये जाने हेतु स्थलीय जांच करते हुये सत्यापन सम्बन्धी प्रमाण–पत्र तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करावें, ताकि उच्च स्तर को ससमय सूचना भेजी जा सके।

(नवीन प्रकाश शाक्य)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, बस्ती।